NT>

Title: Need for a comprehensive plan for the settlement of the slum dwellers living along the railway lines in cities and metropolices of the country, especially in Nagpur.

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज गांवों के नगर हो गए हैं और नगर के महानगर हो गए हैं। गांवों में काम धंधा न होने के कारण बड़ी संख्या में लोग काम के लिए बड़े शहरों में आ रहे हैं और उन्हें जहां जगह मिलती है वे वहां बस जाते हैं। बड़े शहरों में गरीब लोग रेल लाइनों के आसपास या रेलवे की जहां कहीं जगह मिलती है, वहां बस जाते हैं। वे करीबन 20-25 सालों से वहां रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब आप महाराट्र के मुख्यमंत्री थे तो आपने इस चीज को देखा होगा। आपने इस मामले में रेल मंत्रालय से बात भी की थी। नागपुर शहर में रेलवे की जगह पर करीबन तीन से चार लाख लोग रहते हैं। इसी तरह अमरावती, चन्द्रपुर और पुणे जैसे कई बड़े शहरों में रेलवे की जगह पर लोग आकर बस गए हैं। जब रेल मंत्रालय के ध्यान में आता है कि इनको हटाना चाहिए, वह बगैर नोटिस दिए, यह कह कर कि हमने नोटिस दे दिया है, इनको हटाना है, हटाने की कार्रवाई शुरु हो जाती है। गरीब लोग अपनी पूरी सम्पत्ति और मेहनत लगा कर अपना घर बनाते हैं लेकिन उनका सामान उठा कर फेंक दिया जाता है और उसे तहस-नहस कर दिया जाता है। सरकार एक तरफ होम फॉर ऑल की नीति बना रही है, इसमें कई रियायतें दे रही है और हर साल 20 लाख मकान देने की बात कर रही है लेकिन दूसरी तरफ रेलवे की इतनी सारी सम्पत्ति के बारे में उसे ध्यान नहीं है। इस बारे में एक कॉम्प्रीहैंसिव प्लान बनाना चाहिए। जो लोग वहां रह रहे हैं और जिन की इसे लेने की हैसियत है, वे पैसा देंगे लेकिन जो बीपीएल के नीचे हैं और वे जिस जगह रह रहे हैं, उन्हें वह जगह दी जाए। यह एक बहुत बड़ा इशू है जो हर बार डिसकस होता है और हर बार कार्रवाई भी होती है। कल भी नागपुर में उन लोगों को हटाने की कार्रवाई हुई। वहां दो-तीन लाख लोग रह रहे थे। आप कृपया इस बारे में ध्यान दीजिए और रेल मंत्रालय को इनस्ट्रक्शन देकर इस समस्या को दूर करिए।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

MR. SPEAKER: There is no point of order in 'Zero Hour'. Please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: There is no provision in the rules to raise a point of order during 'Zero Hour' because there is no such provision as 'Zero Hour' in the rules.

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : ऐसा प्रॉविजन क्यों नहीं है? आपको मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुनना पड़ेगा। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मै आपको समझाऊंगा। आप मेरे चैम्बर में आइयेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है?

श्री भान सिंह भौरा : हम सुबह नौ बजे आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा, आप मेरे चैम्बर में आइयेगा।